पंजीकरण / नवीनीकरण सूचना

शासनादेश सं0–10 / 2019 / 5568 / 33–2–2019–198जी / 2018 दिनांक 05.11.2019 के क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत बरेली में निर्माण सम्बन्धी ठेकेदारी करने हेतु वर्ष 2020–21 के लिए पंजीकरण / नवीनीकरण में चरित्र प्रमाण पत्र (टी–4), हैसियत प्रमाण–पत्र (न्यूनतम रू0 20.00 लाख), व्यापार कर विभाग द्वारा निर्गत पंजीयन (जी0एस0टी0) प्रमाण पत्र, आयकर विभाग द्वारा निर्गत पंजीयन (पैन कार्ड) प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण–पत्र, स्व0 प्रमाणित आधार कार्ड की छायाप्रति (शपथ पत्र के साथ), स्वः प्रमाणित पासपोर्ट साईज के दो फोटोग्राफ, शपथ–पत्र (इस आशय का शपथ–पत्र की आवेदक का जिला पंचायत, बरेली के किसी भी अधिकारी / कर्मचारी / मा0 अध्यक्ष / मा0 सदस्यगण का निकट सम्बन्धी नही है), आवेदनकर्ता को स्वंय की ई–मेल आई0डी0 एवं आधार लिंक मोबाईल नम्बर, श्रम विभाग में कम से कम 10 श्रमिकों के पंजीकरण की सूची व अन्य प्रपत्रों के साथ अपना आवेदन पत्र जिला पंचायत की अधिसूचित निर्माण नियमावली–1984 का ज्ञान रखने वालों के लिए दिनांक 08–06–2020 की सांय 5.00 बजें तक जिला पंचायत बरेली की ई–मेल आई0डी0 zilapanchayatbareilly@gmail.com पर आनलाईन आमंत्रित की जाती है। निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त कोई भी आवेदन–पत्र स्वीकार नही होगा।

1. दिनांक 08–06–2020 की सांय 5.00 बजे तक जिला पंचायत बरेली की ई–मेल आई0डी0 zilapanchayatbareilly@gmail.com पर आनलाईन मूल प्रमाण पत्रों की छायाप्रति स्वप्रमाणित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. मूल प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न न होने पर पंजीकरण / नवीनीकरण का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
3. अलग से किसी भी प्रमाण पत्र को न तो लिया जायेगा और न ही आपके द्वारा सबमिट किया जायेगा।
4. उल्लिखित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति न होने पर जिला पंचायत को यह अधिकार होगा कि वह उसे निरस्त कर दें। वह इसके लिए न्यायालय में विचाराधीन नही होगा।
5. समय–समय पर निविदाओं / ई–निविदाओं के सम्बन्ध में जारी शासनादेंशो / अन्य शासनादेश का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
6. फर्म के रजिस्ट्रेशन में हैसियत फर्म के नाम से होना अनिवार्य है।
7. उपरोक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति कार्यालय के जांचोपरान्त ही पंजीकरण वैध माना जायेगा।

<u>नोटः–</u> हैसियत / चरित्र प्रमाण–पत्र की वैधता वित्तीय वर्ष की निर्धारित अवधि के मध्य समाप्त होने पर पंजीकरण / नवीनीकरण स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। पंजीकरण / नवीनीकरण समक्ष अधिकारी से स्वीकृत होने पर निर्धारित स्थाई जमानत एवं पंजीयन / नवीनीकरण शुल्क तत्काल जमा करना होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत बरेली

अध्यक्ष
जिला पंचायत बरेली।

कार्यालय जिला पंचायत बरेली।

पत्रांकः 92 / नि0अनु0–पंजी0 / 2020–21 दिनांक 20-5-20

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. एन0आई0सी0, कलेक्ट्रेट, बरेली को इण्टरनेट पर आनलाईन करने हेतु।
2. पत्र प्रेषण अनुभाग को समस्त जनपद स्तरीय कार्यालयों के नोटिस वोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. सम्पादक महोदय दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त विज्ञप्ति अपने आगामी समाचार पत्र में अधिकतम 08 प्वाइन्ट में यथाशीघ्र प्रकाशित कराकर भुगतान बिल विज्ञप्ति की 05 प्रतियों सहित कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत बरेली।